2025 का विधेयक सं.12

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कतिपय विधियों का निरसन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय विधियों का निरसन.- अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियां इसके द्वारा सम्पूर्ण रूप से निरसित की जाती हैं।

3. व्यावृत्तियां.- (1) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि का निरसन ऐसी किसी भी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें इसके द्वारा निरसित विधि लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है।

(2) यह अधिनियम इसके द्वारा निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन पहले से ही की गयी या भुगती गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम, या उसके अधीन पहले से ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी भी अन्वेषण, उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग का या से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त किसी भी क्षतिपूर्ति या किसी भी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम में, या किसी भी विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट,

पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके द्वारा निरसित किसी विधि के द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमश: अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हैं।

(4) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि का निरसन, ऐसी किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा जो उस तारीख को विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है।

(5) शंका के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां यह अधिनियम ऐसी किसी विधि का निरसन करता है जिसके द्वारा किसी भी विषय के अभिव्यक्त लोप, अन्त:स्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा भूतलक्षी रूप से या भविष्यलक्षी रूप से, किसी भी अन्य विधि का पाठ संशोधित किया गया था वहां उक्त निरसन, इस प्रकार निरसित की गयी विधि द्वारा किये गये और इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवर्तनशील ऐसे किसी भी संशोधन की पूर्व विद्यमानता और आगे जारी रहने पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
1.	1952	10	दी बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
2.	1952	16	दी बीकानेर म्यूनिसीपल (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
3.	1952	24	दी जयपुर डिट्रिस्क्ट बोर्डस (एमेंडमेंट) एक्ट, 1952
4.	1955	10	जोधपुर म्यूनिसीपल (संशोधन) अधिनियम, 1955
5.	1955	15	दी सिटी आफ जयपुर म्यूनिसीपल (संशोधन) अधिनियम, 1955
6.	1962	13	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1962
7.	1964	2	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1964
8.	1964	19	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1964
9.	1964	20	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1964
10.	1964	32	राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1964
11.	1965	5	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1965
12.	1965	15	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1965

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
13.	1966	9	राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1966
14.	1969	6	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1969
15.	1970	7	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1970
16.	1971	3	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1971
17.	1973	1	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1973
18.	1974	9	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1974
19.	1975	12	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1975
20.	1976	6	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976
21.	1976	18	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1976
22.	1976	44	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1976
23.	1976	45	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976
24.	1979	9	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1979
25.	1982	4	राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982
26.	1983	10	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1983

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
27.	1986	22	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1986
28.	1987	9	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1987
29.	1987	12	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1987
30.	1987	14	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987
31.	1988	5	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1988
32.	1988	6	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1988
33.	1991	15	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1991
34.	1992	21	राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1992
35.	1996	8	भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1995
36.	2000	18	कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम-परिर्वतन) अधिनियम, 2000
37.	2006	10	राजस्थान सूचना का अधिकार (निरसन) अधिनियम, 2006
38.	2015	7	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
39.	2015	8	राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	अधिनियमों का संक्षिप्त नाम
40.	2015	28	राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015
41.	2015	29	राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2015
42.	2016	6	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016
43.	2018	22	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2018
44.	2019	4	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019
45.	2021	12	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक पहुंच योग्य बनाने के लिए इसमें सुधार करने और विधि के शासन के सिद्धान्तों को समाहित करने का राज्य सरकार का प्रयास, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी विधियों के पुनर्विलोकन के साथ आरंभ हुआ है जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में बनाये रखना अनावश्यक है।

इस उद्देश्य को पूरा करने में राज्य सरकार ने, असंबद्ध और अनावश्यक विधियों को हटाने की दृष्टि से, विधियों और विधिक प्रणाली के व्यापक पुनर्विलोकन का कार्य हाथ में लिया है।

संबंधित प्रशासनिक विभागों ने उनसे संबंधित समस्त विद्‌यमान अधिनियमों का अपने स्वयं के स्तर पर परीक्षण किया और समुचित स्तर पर विनिश्चय करने के पश्चात् उन्होंने 45 अधिनियमों अर्थात् संशोधी अधिनियमों को, जो अप्रचलित और अनावश्यक हैं और जिन्हें पृथक् अधिनियमों के रूप में बनाये रखना अनावश्यक है और जो निरसित किये जा सकते हैं, निरसित करने की अपनी सहमति के बारे में सूचित किया है।

राज्य सरकार की इस निरंतर चल रही पहल के एक भाग के रूप में, वर्तमान प्रस्ताव इस विधेयक में प्रगणित ऐसे 45 अधिनियमों को निरसित करने का है। इस विधेयक में एक समुचित व्यावृत्ति खण्ड सम्मिलित किया गया। अधिनियमित होने पर यह, अप्रचलित विधियों को कम करेगा और उन लोगों के लिए, जिनके फायदे हेतु विधियां अधिनियमित की गयी हैं, स्पष्टता लायेगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

जोगाराम पटेल,

प्रभारी मंत्री।

Bill No.12 of 2025

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS REPEALING BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal certain laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws Repealing Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of certain laws.- The laws specified in the Schedule are hereby repealed as a whole.

3. Savings.- (1) The repeal by this Act of any law shall not affect any other law in which the law hereby repealed has been applied, incorporated or referred to.

(2) This Act shall not affect the previous operation of any law hereby repealed or the validity, invalidity, effect or consequence of anything already done or suffered thereunder or any right, title, privilege, obligation or liability already acquired, accrued or incurred thereunder or any investigation, remedy or proceeding in respect thereof or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

(3) This Act shall not affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or any existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same

respectively may have been in any manner affirmed, or recognized or derived by, in or from any law hereby repealed.

(4) The repeal by this Act of any law shall not revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not existing or in force on the date on which this Act comes into force.

(5) For the removal of doubt it is hereby declared that, where this Act repeals any law by which the text of any other law was amended, whether retrospectively or prospectively, by the express omission, insertion or substitution of any matter, the repeal shall not affect the past existence and further continuance of any such amendment made by the law so repealed and in operation at the commencement of this Act.

SCHEDULE

(See Section 2)

S. No.	Year	Act No.	Short Title of the Acts
1.	1952	10	The Bikaner State District Boards (Amendment) Act, 1952
2.	1952	16	The Bikaner Municipal (Amendment) Act, 1952
3.	1952	24	The Jaipur District Boards (Amendment) Act, 1952
4.	1955	10	The Jodhpur Municipal (Amendment) Act, 1955
5.	1955	15	The City of Jaipur Municipal (Amendment) Act, 1955
6.	1962	13	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1962
7.	1964	2	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1964
8.	1964	19	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Act, 1964
9.	1964	20	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1964
10.	1964	32	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1964
11.	1965	5	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1965
12.	1965	15	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Act, 1965
13.	1966	9	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1966
14.	1969	6	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1969

S. No.	Year	Act No.	Short Title of the Acts
15.	1970	7	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1970
16.	1971	3	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1971
17.	1973	1	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1973
18.	1974	9	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1974
19.	1975	12	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1975
20.	1976	6	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1976
21.	1976	18	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1976
22.	1976	44	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1976
23.	1976	45	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1976
24.	1979	9	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1979
25.	1982	4	The Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1982
26.	1983	10	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1983
27.	1986	22	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1986
28.	1987	9	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1987
29.	1987	12	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1987
30.	1987	14	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Act, 1987

S. No.	Year	Act No.	Short Title of the Acts
31.	1988	5	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1988
32.	1988	6	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1988
33.	1991	15	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1991
34.	1992	21	The Rajasthan Panchayat (Amendment) Act, 1992
35.	1996	8	The Indian Partnership (Rajasthan Amendment) Act, 1995
36.	2000	18	The Agricultural University Udaipur (change of name) Act, 2000
37.	2006	10	The Rajasthan Right to Information (Repeal) Act, 2006
38.	2015	7	The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015
39.	2015	8	The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2015
40.	2015	28	The Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Act, 2015
41.	2015	29	The Rajasthan Panchayati Raj (Fourth Amendment) Act, 2015
42.	2016	6	The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2016
43.	2018	22	The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2018
44.	2019	4	The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2019
45.	2021	12	The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government's endeavor to bring reform in the legal system of the State, to make it more accessible to the common man and to imbibe the principles of rule of law, has, *inter-alia*, began with the review of enactments which are obsolete and redundant or retention whereof as separate Acts are unnecessary.

In fulfilment of this objective, the State Government has undertaken a comprehensive review of laws and the legal system with a view to remove redundant laws.

The Administrative Departments concerned, at their own level examined all the existing Acts pertaining to them and after taking decision at appropriate level, conveyed their concurrence to repeal 46 Acts i.e. amending Acts, which are obsolete and redundant, moreover the retention whereof as separate Acts are unnecessary and can be repealed.

As part of the ongoing initiative of the State Government, the present proposal is to repeal 45 such Acts enumerated in the Schedule of the Bill. An appropriate saving clause has been incorporated in the Bill. On being enacted, it would reduce obsolete laws and bring in clarity to those for whose benefit the laws are enacted.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

जोगाराम पटेल,
Minister Incharge.

Bill No.12 of 2025

THE RAJASTHAN LAWS REPEALING BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal certain laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Jogaram Patel, **Minister-Incharge**)

<u>2025 का विधेयक सं.12</u>

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कतिपय विधियों का निरसन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(जोगाराम पटेल, **प्रभारी मंत्री)**